

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-7/2016/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल, 2018

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।


विषय- सायबर कोषालय के तहत चालान जमा करने एवं रिफण्ड करने की प्रक्रिया ।
संदर्भ- वित्त विभाग परिपत्र क्रमांक एफ 11-7/2016/नियम/चार, दिनांक 7-11-2017 एवं
समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 12-1-2018.

—•—

संदर्भित परिपत्रों द्वारा सायबर कोषालय के माध्यम से राशि जमा करने/रिफण्ड करने संबंधी जारी निर्देशों में 01 सितम्बर, 2016 के पश्चात रूपये 10,000/- से अधिक की राशियों को भौतिक चालान से जमा करने की प्रक्रिया रखी गयी थी ।

2/ कतिपय विभागों में आवश्यक प्रणाली स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 31 मार्च, 2018 तक के लिए स्थगित रखा गया था । कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से इस अवधि में दिनांक 30-4-2018 तक की वृद्धि की जाती है ।


3/ सभी संबंधित विभाग आवश्यक व्यवस्थाएं ऊपरवर्णित समय सीमा में कृपया आवश्यक रूप से विकसित करना सुनिश्चित करें ।


(अजय चौबे)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल, 2018

प.क्रं. : एफ 11-7/2016/नियम/चार
प्रतिलिपि,

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
2. रजिस्ट्रार जनरल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
5. समस्त कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।


(अजय चौबे)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग